# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 51/2014
GCMS NO. : 2014/00390

–: वादी :–

1. गेपरराम उर्फ राजूराम कुमावत निवासी– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला–पाली, राजस्थान।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. नेतीराम पुत्र मल्लाराम कुमावत
2. रूपला पुत्र राजूराम कुमावत
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व वादबाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:–20/02/2014

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री मोहनलाल कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः–16/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– आ0कालू–प्रथम, तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 10–00 बीघा, खसरा नम्बर 1948/2 रकवा 5–00 बीघा, खसरा नम्बर 1948/3 रकबा 5–00 बीघा, कुल किता–3 कुल रकबा 20–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें वादी 1/2 वे हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी के कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 10–00 बीघा की भूमि आई हुई हैं तथा खसरा 1948/2 व 1948/3 की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेन के भूमि के खातेदार नारायण पुत्र खींया माली से प्रतिफल की राशि देकर के खरीद की थी, जो मूल खसरा नंबर 1948 रकबा 74–12 बीघा में से रकवा 20–00 बीघा खरीद की थी। इस 20–00 बीघा खरीदी गई भूमि में से वादी ने 10–00 बीघा भूमि खरीद की व प्रतिवादीगण दोनों ने ही [illegible] की कुल 10–00 बीघा भूमि जिसका स्पष्ट उल्लेख पंजीबद्ध बेचाननामा में [illegible] हुआ हैं। नकल पंजीबद्ध बेचाननामा इस वाद पत्र के साथ पेश किया है [illegible] पंजीबद्ध बेचाननामा के खरीद की गई भूमि का नामान्तरकरण संख्या [illegible] तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भरा गया था। जिसके 1948/1 रकबा 1000 बीघा वादी के नाम दर्ज की गई। अनुसार खसरा नम्बर इसी प्रकार प्रतिवादीगण के नाम खसरा नम्बर 1948/2 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला पाली

1948/3 दर्ज की गई थी। नकल नामान्तरकरण संख्या 550 व जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 एवं उसके बाद की पश्चातवर्ती जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 की इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। तत्पश्चात् चौशाला जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 की तैयार करते समय वादी व प्रतिवादीगण की अलग-अलग भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज हैं। लेकिन मौके पर वादी अपनी 10-00 बीघा भूमि पर काबिज हैं व प्रतिवादीगण अपनी 5-5 बीघा भूमि में काबिज हैं। माफिक पंजीबद्ध बेचान के अनुसार ही वादी अपने द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 10-00 बीघा अपने अकेले के नाम दर्ज करवाने व इस आशय की रेकर्ड दुरुस्ती की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह बाद पत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया। कब्जा काश्त में भी है। वादी व प्रतिवादीगण की अलग-अलग भूमि राजस्व रेकर्ड में भी पूर्व में दर्ज थी। तत्पश्चात् राजस्व रेकर्ड में चौशाला जमाबन्दी तैयार करते समय शामलाती दर्ज हो गई। लेकिन मौके पर आज भी कब्जा काश्त माफिक खरीद के अनुसार ही अलग-अलग है। भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने की वजह से वादी अपने हक व हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा कराना चाह रहा है। जबकि प्रतिवादीगण इससे सहमत नहीं है तथा वादी द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती, बंटवाड़ा व तरमीम का बार-बार कहने के बावजूद नहीं मान रहे हैं एवं दिनांक 01/02/2014 प्रतिवादीगण ने इस भूमि की रेकर्ड दुरुस्ती व बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया है। जिस पर वादी की ओर से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण सभी ने भूमि पूर्ववर्ती खातेदार नारायण माली से खरीद की थी। जिसमें 10-00 बीघा भूमि वादी ने खरीद की है। 5-5 बीघा भूमि प्रतिवादीगण ने खरीद की है। जिसका स्पष्ट उल्लेख बेचान विलेख में किया हुआ है। प्रतिफल की राशि की अदायगी भी वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से माफिक ही की हैं। लेकिन अब राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती दर्ज हो जाने व अलग-अलग रकबा दर्ज नहीं होने की वजह से प्रतिवादीगण वादी के कब्जा व काश्त एवं नाप चौप को लेकर आये दिन वाद-विवाद कर रहे हैं तथा वादी के कब्जे व दखलब्दाजी कर रहे हैं। दिनांक 01/02/2014 को प्रतिवादीगण ने रेकर्ड की दुरुस्ती कराने व नाप चौप कराने व बंटवाड़ा से भी इन्कार कर दिया है एवं मौके पर भी मार्टों को लेकर के लड़ाई झगड़ा व विवाद कर रहे हैं तथा चादी को उसकी 10-00 बीघा भूमि से बेदखल करने को आमादा है। यदि प्रतिवादीगण ऐसां दुष्कृत्य करने में [illegible] तो वादी अपनी हक हिस्से की भूमि से हमेशा-हमेशा के लिये [illegible] जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी [illegible] सम्भव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध [illegible]रेगा। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के बाद मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 01/02/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती कराने व उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने व कब्जा काश्त में दखलब्दाजी करने पर बमुकाम आ0कालू-प्रथम, तहसील- जैतारण (जिला-पाली) में उत्पन्न होता है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते तलब किये गये प्रतिवादीगण संख्या 3 जबाबदावा को बावजूद तामिली/सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 20/05/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 20/05/2014 को जबाबदावा पेश कर बाद पत्र के तथ्यों को संपुष्ट करते हुए वाद डिक्री किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा किये जाने में स्वीकारोक्ति दी है। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 गेपरराम का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 20/05/2015 को प्रस्तुत किया। मुख्य परीक्षण पर दस्तावेजात पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 23/10/73 Exp-1ए, जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 एवं नक्शा ट्रेस Exp-2ए, प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी नहीं चाहने से बन्द की गई या बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 23/10/73 वादी को 10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 5-5 बीघा भूमि का विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त किया जसका नामान्तरकरण संख्या 550 द्वारा अमल दरामद भी विक्रय विलेख अनुसार किया किन्तु आगामी जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सामलाती रुप से अंकन कर दिया जिससे माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख पृथक वादी को 10 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 5-5 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा तदानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाकर व पृथक-पृथक खाता व लगान अलग-अलग करवाये जाकर पत्थरगढ़ी व नेखगबन्दी किए जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 के तस्दीक युदा शपथ-पत्रादि का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होना बहस से साबित हैं। लिहाजा माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख वादी को 10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पृथक-पृथक 5-5 बीघा भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पंजीबद्ध विक्रय विलेख खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा आनन्दपुर कालू चक प्रथम पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक प्रथम के खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 खसरा नम्बर 1948/2 रकबा 05-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 1948/3 रकबा 05-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बौंउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/1247 दिनांक 29.05.2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2022/3175 दिनांक 09/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-प्रथम, पटवार हल्का आ0कालू चक प्रथम, भू अभि. निरीक्षक आ0कालू तहसील- जैतारण के खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 खसरा नम्बर 1948/2 रकबा 05-00 बीघा एवं खसरा नम्बर 1948/3 रकबा 05-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल को खातेदार घोषित करते हुये उक्त भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्टर में) | लगान | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गेपरराम पुत्र राजूराम कौम कुमावत सा0 बलुन्दा खातेदार | 1948/1 | 1.6187 | 6.20 | बा0 अ0 |
| 2. | नेतीराम पुत्र मल्लाराम कौम कुमावत सा0 बलुन्दा खातेदार | 1948/2 | 0.8094 | 3.10 | बा0 अ0 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | रूपाराम पुत्र राजूराम कौम कुमावत सा0 बलुन्दा खातेदार | 1948/3 | 0.8094 | 3.10 | बा0 अ0 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

**(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,मुकामः– जैतारण**

**बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. गेपरराम उर्फ राजूराम कुमावत निवासी– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

बनाम

1. नेतीराम पुत्र मल्लाराम कुमावत
2. रूपला पुत्र राजूराम कुमावत
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण।

**मु०न० :रा०वा० स०: 51/2014**

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ..........–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री मोहनलाल कुमावत, अधिवक्ता प्रतिवादी, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– आ0कालू–प्रथम, पटवार हल्का आ0कालू चक प्रथम, भू अभि. निरीक्षक आ0कालू तहसील– जैतारण के खसरा नम्बर 1948/1 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 खसरा नम्बर 1948/2 रकबा 05–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 1948/3 रकबा 05–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल को खातेदार घोषित करते हुये उक्त भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्टर में) | लगान | किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गेपरराम पुत्र राजूराम कौम कुमावत सा0 बलुन्दा खातेदार | 1948/1 | 1.6187 | 6.20 | बा0 अ0 |
| 2. | नेतीराम पुत्र मल्लाराम कौम कुमावत सा0 बलुन्दा खातेदार | 1948/2 | 0.8094 | 3.10 | बा0 अ0 |
| 3. | रूपाराम पुत्र राजूराम कौम कुमावत सा0 बलुन्दा खातेदार | 1948/3 | 0.8094 | 3.10 | बा0 अ0 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/06/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 03-00 | स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | / | महनताना वकील | / |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | 02-00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | / | मुत्फरिक | |
| मिजानः– | 06-00 | मिजानः– | 01-00 |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:44 IST
Reason: SelfAttested